भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.2081**
बुधवार, 19 मार्च, 2025 (28 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

## राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड

2081 # श्री आदित्य प्रसादः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड की साधारण सदस्यता किन श्रेणियों के अंतर्गत ली जा सकती है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित सदस्यता शुल्क और प्रत्येक श्रेणी के सदस्य द्वारा खरीदे जाने वाले शेयरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के कुल कितने सहकारी सदस्य हैं?

**उत्तर**

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) के साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए पात्र बनाया गया है:

i. किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी जाने वाली कोई बहु-राज्य सहकारी समिति अथवा कोई अन्य सहकारी समिति;
ii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC);
iii. सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई अन्य निगम;
iv. ऐसे वर्ग या वर्गों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघ, जिन्हें केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा समिति के स्वभाव और कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई हो।

इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) का सामान्य सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) विभिन्न वर्गों के अंतर्गत एनसीओएल की सदस्यता के लिए अभिदत्त आवश्यक शेयर पूंजी का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

| क्रम. सं. | वर्ग | सदस्यता का वर्गीकरण | अभिदत्त किए जाने वाले शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|
| i. | **1** | सहकारी संगठन जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF); राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) या कोई अन्य इकाई जो क्लास -1 सदस्य बनने की मंशा रखती है। | प्रत्येक1,000/- रुपये के अंकित मूल्य वाले कम से कम 2,00,000 शेयर |
| ii. | **2** | एक राज्य स्तर या शीर्ष सहकारी समिति और बहु-राज्य सहकारी समिति , जो उपर्युक्त क्र.सं. (i) में उल्लिखित नहीं है। | प्रत्येक1,000/- रुपये के अंकित मूल्य वाले कम से कम 1,000 शेयर |
| iii. | **3** | राज्य या प्राथमिक सहकारी समिति के अलावा एक सहकारी समिति | प्रत्येक 1,000/- रुपये के अंकित मूल्य वाले कम से कम 100 शेयर। |
| iv. | **4** | प्राथमिक सहकारी समिति | प्रत्येक 1,000/- रुपये के अंकित मूल्य वाले 21 शेयर |
| v. | **5** | ऐसे वर्ग या वर्गों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघों को सदस्य बनने की अनुमति दी जा सकती है | प्रत्येक 1,000/-रुपये के अंकित मूल्य वाले कम से कम 21 शेयर |

प्रत्येक सदस्य को 500/- रुपये का प्रवेश शुल्क या बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा।

(ग) अब तक, कुल 19,171 सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की सदस्य बन चुकी हैं।

*****